निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 109 / 2021

तारीख दायरा 15.09.2021

उनवान

चौथमल पुत्र गंगाबिशन जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा । — वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लेंड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सांगोद। — प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादीनी) दिनांक :— 25.02.2022

श्री सरकार पैरोकार

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर–7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम डंडिया पटवार हलका कुराडियाखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की निम्न आराजी स्थित है :—

खाता सख्या नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
142	139	166	0.6900 है.

कुल किता 1 की 0.6900 हैक्टर आराजी

वाद पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम अधिकार अभिलेख में हरिशंकर पुत्र गंगाविशन जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज किया गया हुआ है

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

तथा प्रतिवादी ने वादी का गांव मे बोलने वाला नाम हरिशंकर ही दर्ज कर दिया। वादी का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, भामाशाह कार्ड व शिक्षा रेकार्ड में चौथमल पुत्र गंगाबिशन जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज है। वादी के ही दो नाम गांव में बोलने वाला नाम हरिशंकर व रिकार्डेड नाम चौथमल है लेकिन दो अलग-अलग व्यक्ति नही होकर एक ही व्यक्ति है, वादी के अलावा और कोई व्यक्ति उक्त खाते व नाम का नहीं है।

वादी केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में अपना नाम रजिस्ट्रर करवाने के लिए ई-मित्र कियोस्क पर गया तो ई-मित्र संचालक ने खाते में व आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में एक ही नाम होने पर ही केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नाम रजिस्ट्रर करने की कही। वादी को केन्द्र सरकार की योजना का लाभ वाद पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजी में व अन्य दस्तावेजात में नाम सही होने तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नाम रजिस्ट्रर करने से इन्कार कर दिया इस कारण से वादी के लिए आवश्यक होने पर वादी पटवारी हलका के पास गया, उनके द्वारा वादी का नाम सही नहीं करने पर वादी प्रतिवादी के पास गया तो प्रतिवादी द्वारा भी वादी का नाम सही नहीं किया। इस कारण से वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की घोषणा कर डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि माल ग्राम डंडिया पटवार हलका कुराडियाखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता संख्या 142 की खसरा नम्बर 166 की 0.6900 है. कुल किता 1 की 0.6900 हैक्टर आराजी में दर्ज वादी का नाम हरिशंकर पुत्र गंगाबिशन जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा के स्थान पर चौथमल पुत्र गंगाबिशन जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा करने की कृपा करने का निवेदन है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की तलबी हो चुकी है। पटवारी हलका श्यामपुरा द्वारा चौथमल एवं हरिप्रसाद पुत्रान गंगाविशन जाति माली के ग्राम श्यामपुरा में निवास करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की। वादी के भाई हरिप्रसाद ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी में हरिशंकर पुत्र गंगाविशन के स्थान पर चौथमल पुत्र गंगाबिशन किए जाने पर सहमति व्यक्त की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, हरिप्रसाद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पटवारी रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि-

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर-7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

माल ग्राम डंडिया पटवार हलका कुराडियाखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता संख्या 142 की खसरा नम्बर 166 की 0.6900 है. कुल किता 1 की 0.6900 हैक्टर आराजी में दर्ज वादी का नाम हरिशंकर पुत्र गंगाबिशन जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा के स्थान पर चौथमल पुत्र गंगाबिशन जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 25.02.2022को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

COURT FEE
कोर्ट फी
Rs.2
2 रु.
INDIA
भारत
दो रुपये TWO RUPEES
FOR COPYING FEES ONLY

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर–7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 15.09.2021

प्रकरण संख्या : 109/2021

उनवान

चौथमल पुत्र गंगाबिशन जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा । – वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लेंड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सांगोद। – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादीनी) दिनांक :– 25.02.2022

श्री सरकार पैरोकार

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री मोहन लाल पोटर मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम डंडिया पटवार हलका कुराडियाखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता संख्या 142 की खसरा नम्बर 166 की 0.6900 है. कुल किता 1 की 0.6900 हैक्टर आराजी में दर्ज वादी का नाम हरिशंकर पुत्र गंगाविशन जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा के स्थान पर चौथमल पुत्र गंगाविशन जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

ाय आज दिनांक 25.02.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद ,कोटा

क्रमांक– 326 दिनांक–

तहसीलदार,
तहसील सांगोद।

विषयः– इजराय संख्या 25/2022 उनवान ~~चौथमल बनाम मनिष~~ बनाम राज्य सरकार मुताबिक निर्णय पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं0 189/2021 उनवान चौथमल बनाम राज्य सरकार के न्यायालय में दिनांक 25/2/22 को निर्णय–डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय डिक्री की छाया प्रति भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक ....से पूर्व पालना करना सुनिश्चित करें।

सलंग्न–
निर्णय–डिक्री की छाया प्रति

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

25/2022

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

दिनांक– 16/03/23

क्रमांक/LR/2023/803

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सांगोद।

विषयः– न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0 109/2021 उनवान गोपीलाल पुत्र गोपीकिशन / राज्य सरकार में जारी डिक्री दिनांक 15/09/21 की पालना में ग्राम डांड्या में नामान्तरकरण सं. 462 दिनांक 9/5/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0 अभि0)

तहसील सांगोद जिला कोटा

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

सम्वत :- 2074 - 2077

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 142

खाता संख्या पुराना :- 139

...:- इंडिया
...:- कुराड़ियाखुर्द
... सांगोद
...ांगोद
...टा

...का नाम:-

...लाल पुत्र गंगाविशन हिस्सा- 1/2 जाति- माली सा. श्यामपुरा खातेदार

...प्रसाद पुत्र गंगाविशन हिस्सा- 1/2 जाति- माली सा. श्यामपुरा खातेदार,

...या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
	0.6900	चाही तृतीय	0.6900	15.18		स्वीक्रत नामांतरकरण : 387 30/07/2019 बालिग स्वीक्रत नामांतरकरण : 462 19/05/2022 न्याया. आदेश	
-1	0.6900		0.6900	15.1800			

...केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

...योग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।